बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520950, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

संचिका सं0 :– ICDS/40020/01-2012.....4572 दिनांकः– 11/12/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा0रा0से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

विषय :– ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्ड आधारित परिसीमन के संबंध में।

प्रसंग – पत्रांक ICDS/40020/01-2012/3609 दिनांक 09.10.2012, 622 दिनांक 16.02.2012, 1664 दिनांक 08.05.2012 एवं 3610 दिनांक 09.10.2012

महाशय,

आई.सी.डी.एस. के पत्रांक ICDS/40020/01-2012/3609 दिनांक 09.10.2012 द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से पूरे राज्य के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन पंचायत वार्डो से सहसीमांत कर दिया गया है। इस क्रम में पूर्व के प्रासंगिक पत्रों द्वारा इस प्रक्रिया के अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

2. विभिन्न जिलों में वार्ड आधारित परिसीमन की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि परियोजनाओं /कार्यालयों में इस प्रक्रिया को सम्पूर्ण करने हेतु कई भ्रॉंतियॉं मौजूद है। साथ ही प्रक्रिया के सम्पूर्ण होने के बाद भेजे जाने वाले प्रतिवेदन, जिसमें आवश्यकतानुसार अतिरिक्त केन्द्रों की मॉग करना शामिल है, में भी कई त्रुटियॉ है। कुछ सामान्य त्रुटियॉ निम्नलिखित है –

(क) वार्ड को ईकाई मानकर प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है जिसके कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि संबंधित परियोजना के सभी वार्डो को सम्मलित किया गया है या नहीं ?

(ख) जनसख्या होने के बाबजूद अतिरिक्त केन्द्रों की मॉग नही की गई है।

(ग) अतिरिक्त कन्द्रों की मॉग तो की गयी है परन्तु जनसंख्या दर्शाया ही नहीं गया है।

उक्त के आलोक में ऑगनवाड़ी केन्द्रों के वार्ड आधारित परिसीमन की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है। उदाहरण का नमुना संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है इस प्रक्रिया को शीध्रताशीध्र सम्पूर्ण करे।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोपरि

(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक ICDS/40020/01-2012......4572 दिनांकः– 11/12/2012
प्रतिलिपि :–सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/12/12
निदेशक